"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 जून 2010—ज्येष्ठ 27, शक 1932

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक 1456/4163/2009/मबावि/50.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधि. 2006 का 4) की धारा 36 की उपधारा (1) तथा (2) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 है.

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधि. 2006 का 4);

   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 17 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग;

   (ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, आयोग का अध्यक्ष;

   (घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य;

   (ङ) "सदस्य सचिव" से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य सचिव;

(च) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(छ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(ज) शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये है, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये यथा समनुदेशित है.

3. चयन समिति :— धारा 18 के परन्तुक में निर्दिष्ट चयन समिति का अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास विभाग का भारसाधक मंत्री होगा.

4. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता :— कोई व्यक्ति जिसका मानव अधिकार या बाल अधिकारों के अतिक्रमण का पूर्ववृत्त रहा हो, आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

5. सदस्य सचिव :— राज्य सरकार, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त करेगा.

6. सदस्य सचिव की शक्तियां और कर्त्तव्य :— सदस्य सचिव—

(एक) को धारा 13 तथा 14 में यथाउपबंधित आयोग की शक्तियों और कृत्यों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से आयोग द्वारा किए गये समस्त विनिश्चयों का निष्पादन करने की शक्तियां होंगी;

(दो) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा निर्वहन करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा कि आयोग के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन के लिए और धारा 13 तथा 14 में यथाविनिर्दिष्ट इसके दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए अपेक्षित हों;

(तीन) इनके अध्यक्ष के परामर्श से आयोग का सम्मिलन आहूत करेगा और समस्त संबंधितों को सम्मिलनों की सूचनाओं की तामील करेगा;

(चार) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगा कि आयोग का सम्मिलन आहूत करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति है;

(पांच) अध्यक्ष के परामर्श से आयोग के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यसूची तथा स्वतः स्पष्टीकारक टीप तैयार करेगा;

(छः) कार्यसूची मदों में आने वाले विनिर्दिष्ट अभिलेखों को, आयोग को संदर्भ के लिए उपलब्ध कराएगा;

(सात) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यसूची के कागजात, सिवाय उन मामलों में जब तुरंत ध्यान दिया जाना अपेक्षित हो, कम से कम सम्मिलन से अग्रिम दो पूर्ण कार्य दिवसों में सदस्यों को परिचालित हो गये हों;

(आठ) आयोग के सम्मिलनों के कार्यवृत्त तैयार करेगा तथा सम्मिलन में लिये गये आयोग के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा और इसके पश्चात्वर्ती सम्मिलन में आयोग के समक्ष आयोग के विनिश्चयों पर की गई कार्यवाही के टिप्पण को रखा जाना भी सुनिश्चित करेगा;

(नौ) यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग की प्रक्रिया उसके कारोबार के संव्यवहार में उसके द्वारा अनुसरित की गई है;

(दस) अनुदान देने, पदों के सृजन, वेतनमान का पुनरीक्षण, यानों का उपापन, कर्मचारिवृंद की नियुक्ति, राज्य विधान सभा में वार्षिक और संपरीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट को रखवाने, निधियों का पुनर्विनियोग, आवासीय स्थान प्रतिनियुक्ति के लिए आयोग के किसी अधिकारी को अनुज्ञात करने और राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु अपेक्षा करने वाले किसी अन्य विषय के संबंध में [illegible] महिला एवं बाल विकास विभाग से ग्रहण किए गये ऐसे समस्त विषयों पर विचार करेगा.

(ग्यारह) ऐसी वित्तीय शक्तियां प्रयोग करेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई हो:

परन्तु ऐसा कोई भी व्यय, जो किसी एक मद में उसकी वित्तीय शक्ति से अधिक हो, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं होगा.

(बारह) आयोग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी होगा.

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि :—

(1) अध्यक्ष, जब तक की उसे अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसके पद से हटा नहीं दिया जाता, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा.

(2) प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उसे धारा 7 के अधीन पद से हटा नहीं दिया जाता, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि या साठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा.

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी :—

(क) कोई व्यक्ति, जो अध्यक्ष का पद धारण करता है, पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा, और

(ख) कोई व्यक्ति, जो सदस्य का पद धारण करता है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन या अध्यक्ष के रूप में नाम-निर्देशन के लिए पात्र होगा;

परन्तु कोई व्यक्ति, जो दो अवधियों के लिये अध्यक्ष या सदस्य, किसी भी हैसियत में रह चुका है, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा.

(4) यदि, अध्यक्ष बीमारी या अक्षमता के कारण, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है, तो राज्य सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने या उसकी पदावधि के शेष भाग तक अध्यक्ष का पद धारण करेगा.

(5) अध्यक्ष या सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा.

(6) मृत्यु, पद त्याग या किसी अन्य कारण से हुई कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी.

8. **अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें :—** अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, जिनके लिये इन नियमों में उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

9. **आयोग के कृत्य :—** आयोग निम्नलिखित समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का परीक्षण तथा पुनर्विलोकन करना तथा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उपायों की अनुशंसा करना;

(ख) प्रतिवर्ष और ऐसे अंतरालों पर जैसा आयोग उचित समझे, राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट देना;

(ग) बाल अधिकारों के अतिक्रमण का अन्वेषण करना और ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही शुरू करने की अनुशंसा करना;

(घ) आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, दुर्व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण अश्लील चित्रण तथा वेश्यावृत्ति द्वारा बालकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले समस्त कारणों का परीक्षण करना और ऐसे मामलों में समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना;

(ङ) विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, जिनमें कठिन परिस्थितियों में बालक, उपेक्षित और प्रतिकूल परिस्थितियों में बालक, अपचारी बालक, किशोर, परिवार रहित/निराश्रित बालक तथा बंदियों के बालक सम्मिलित हैं, से संबंधित मामलों को देखना तथा समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना;

(च) बाल अधिकारों के बारे में संधियों (ट्रीटीज) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विलेखों का अध्ययन विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों का नियतकालीन पुनर्विलोकन की जिम्मेदारी लेना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना;

(छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना तथा उसे बढ़ावा देना;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों की जानकारी को प्रसारित करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमीनार तथा अन्य उपलब्ध स्रोतों के माध्यम से इन अधिकारों के लिये उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना;

(झ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी भी किशोर बंदीगृह या बालकों के निवास का कोई अन्य स्थान या ऐसी संस्था जो बालकों के लिये बनी हो, जिसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित कोई ऐसी संस्था सम्मिलित है, जहां बच्चों को निरूद्ध किया जाता हो या इलाज, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन के लिये रखा जाता हो, का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना तथा यदि आवश्यक पाया जाये तो ऐसी उपचारात्मक कार्यवाही के लिये उन प्राधिकारियों तक ले जाना.

(ञ) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना :—

(1) बाल अधिकारों का वंचन या अतिक्रमण;

(2) बालकों की रक्षा और उनके विकास के लिये उपबंधित विधियों का अक्रियान्वयन,

(3) बालकों की कठिनाईयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालकों को अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों या अनुदेशों का अनुपालन या ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना, और

(ट) किसी ऐसे मामले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना.

10. **आयोग के अतिरिक्त कृत्य** :— आयोग नियम 9 के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) बाल अधिकार पर अभिसमय के अनुपालन का निर्धारण करने के लिये विद्यमान विधि, नीति और प्रथा का विश्लेषण करना, बालकों को प्रभावित करने वाली नीति या प्रथा के किसी पहलू के संबंध में जांच करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नए विधान पर टिप्पणी करना;

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर प्रतिवर्ष और ऐसे अन्तरालों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) वहां औपचारिक अन्वेषण करना जहां स्वयं बालकों द्वारा या उनकी ओर से संबंधित व्यक्ति द्वारा चिन्ता अभिव्यक्त की गई है;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि आयोग का कार्य बालकों के दृष्टिकोण से सीधे सूचित किया जाता है जिससे उनकी प्राथमिकताओं तथा परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित किया जा सके;

(ङ) अपने कार्य में तथा बालक से संबंधित समस्त सरकारी विभागों तथा संगठन के कार्य में बालकों के दृष्टिकोण को प्रोन्नत करना, उनका आदर करना तथा उन पर गंभीर विचार करना;

(च) बाल अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना तथा उसका प्रचार करना;

(छ) बालकों के संबंध में आंकड़े संकलित करना तथा उनका विश्लेषण करना, और

(ज) विद्यालय पाठ्यक्रम, अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा बालकों से संबंधित कार्मिकों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों के समावेश को प्रोन्नत करना.

11. **राज्य आयोग का मुख्यालय** :— राज्य आयोग का मुख्यालय रायपुर में होगा.

12. **सम्मिलनों का स्थान** :— राज्य आयोग, सामान्यतया रायपुर स्थित अपने कार्यालय में सम्मिलन करेगा, किन्तु विवेकानुसार छत्तीसगढ़ में किसी अन्य स्थान पर अपना सम्मिलन कर सकेगा यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे.

13. **सम्मिलनों की नियतकालिकता :—** आयोग रायपुर स्थित अपने कार्यालय में ऐसे समय पर, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे, नियमित रूप से सम्मिलन करेगा, किंतु उसके अंतिम सम्मिलन तथा आगामी सम्मिलन के बीच तीन मास का अंतराल नहीं होगा. यद्यपि, अध्यक्ष किसी आवश्यक विनिर्दिष्ट मामले पर विचार करने के लिए उसकी स्वप्रेरणा पर या एक या एक से अधिक सदस्य की प्रेररणा पर, आयोग का विशेष सम्मिलन बुलाये जाने के लिये निर्देश दे सकेगा.

14. **परिवादों को निपटाने के लिए प्रक्रिया :—**

(1) समस्त विवाद, जो राज्य आयोग द्वारा किसी भी रीति में प्राप्त किये गये हों, पंजीकृत किये जायेंगे और उन्हें एक क्रमांक दिया जायेगा तथा इस प्रयोजन के लिए गठित दो सदस्यीय न्यायपीठ (बैंच) के समक्ष साधारणतया उसकी प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह से अनधिक के लिए स्वीकृति हेतु रखा जायेगा. साधारणतया निम्नलिखित प्रकृति के परिवाद आयोग के लिये ग्राह्य नहीं है :—

(क) ऐसी घटनाओं के संबंध में जो परिवाद प्रस्तुत करने के एक वर्ष से अधिक पूर्व घटित हुई है;

(ख) ऐसे मामलों के संबंध में जो "न्यायाधीन" है;

(ग) जो स्पष्ट नहीं है, बिना किसी नाम से या छद्म नाम से है;

(घ) जो तुच्छ प्रकृति के हैं,

(ङ) जो आयोग की अधिकारिता के बाहर हैं.

(2) परिवादों के लिए कोई फीस देय नहीं होगी.

(3) प्रत्येक परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिये जिससे कि आयोग तुरंत कार्यवाही करने हेतु समर्थ होगा तथा ऐसा प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिये कि उस मामले की प्रकृति पूर्णतया स्पष्ट हो जाये जिसके कारण परिवाद किया गया है, तथापि परिवादों को सुविधानुसार फाईल करने के लिये आयोग, संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में किये गये परिवाद को स्वीकार कर सकेगा. आयोग को यह स्वतंत्रता होगी कि वह जब कभी आवश्यक समझे अभिकथनों के समर्थन में और जानकारी तथा शपथ पत्र फाईल किये जाने की अपेक्षा करें.

(4) आयोग, स्वविवेकानुसार, तार या ई-मेल से भेजे गये परिवादों और फैक्स के माध्यम से परिवादों को ग्रहण करेगा.

(5) आयोग को किसी परिवाद को आरंभ में ही खारिज करने की शक्ति होगी.

(6) किसी परिवाद के ग्रहण कर लिये जाने के पश्चात् अध्यक्ष/आयोग यह निर्देश देगा कि क्या मामला आयोग की जांच के लिये रखा जावे या और अन्वेषण किया जाना चाहिये.

(7) प्रत्येक परिवाद के संबंध में, जिस पर अध्यक्ष/आयोग द्वारा कोई ऐसा विनिश्चय किया गया है कि क्या उसकी जांच या अन्वेषण किया जाना चाहिये, तो आयोग संबंधित सरकार/प्राधिकारी से रिपोर्ट/टिप्पणी मंगायेगा और इस प्रयोजन के लिये सरकार/प्राधिकारी को समुचित समय दिया जाएगा.

(8) संबंधित प्राधिकारी की टिप्पणी प्राप्त होने पर, उस मामले के गुणागुण के आधार पर एक विस्तृत टीप आयोग के विचारण के लिये तैयार की जायेगी.

(9) **आयोग स्वप्रेरणा से कार्यवाही करेगा :—** आयोग स्वविवेकानुसार याचिकाकर्ता को या याचिकाकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, और यदि आयोग की यह राय हो कि ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसके समक्ष मामले के समुचित निपटारे के लिये सुना जाना चाहिये, तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा और जहां आवश्यक हो उसके संबंध में अभिलेख मंगा सकेगा तथा विषयों का परीक्षण कर सकेगा. आयोग उन व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा जिनका चरित्र उसकी जांच की विषय वस्तु हो और उसकी राय में उनकी ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और परिवाद के समर्थन में साक्षियों के प्रतिपरीक्षण, यदि कोई हो, करने का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा.

(10) जहां आयोग के दल (टीम) द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषण किया गया है, वहां उसके पूर्ण होने की तारीख से एक सप्ताह या ऐसे और समय के भीतर, जैसा कि आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाए, ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी. किसी विशिष्ट मामले में यदि आयोग की यह राय है कि अन्वेषण उचित रूप से नहीं किया गया है या सत्य को सुनिश्चित करने के लिये या उस विषय को उचित रूप से निपटाने में समर्थ होने के लिये उस विषय में और अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है, तो आयोग स्वविवेकानुसार और अन्वेषण करने के लिये निर्देश दे सकेगा.

(11) आयोग या जब अध्यक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो आयोग के सदस्यों में से कोई सदस्य स्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिये दौरा कर सकेगा तथा जहां किसी एक या अधिक सदस्यों द्वारा ऐसा अध्ययन किया जाता है, तो वह रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र आयोग को दी जाएगी.

15. **आयोग के कारबार के संव्यवहार के लिये प्रक्रिया :—**

(1) आयोग का "सदस्य सचिव" ऐसे अधिकारियों के साथ, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, आयोग के सम्मिलनों में उपस्थित होगा;

(2) सदस्य-सचिव अध्यक्ष के परामर्श से आयोग के प्रत्येक सम्मिलन के लिये कार्य सूची (एजेंडा) तैयार करेगा तथा आयोग के उपयोग के लिये टिप्पण तैयार करेगा तथा ऐसे टिप्पण यथासंभव स्वतः स्पष्ट होंगे;

(3) कार्यसूची की मदों में आने वाले अभिलेख आयोग को निर्देश के लिये तुरंत उपलब्ध कराये जायेंगे;

(4) कार्यसूची के कागजात सामान्यतः सम्मिलन के कम से कम दो स्पष्ट कार्य दिवस के पूर्व अग्रिम में सदस्यों को परिचालित कराये जाएंगे सिवाय ऐसे मामले में जब आवश्यक ध्यान अपेक्षित हो;

(5) आयोग के प्रत्येक सम्मिलन में तीन सदस्यों से, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है गणपूर्ति होगी;

(6) आयोग के समस्त विनिश्चय उसके सम्मिलनों में बहुमत से लिये जायेंगे.

परंतु मतों की समानता की दशा में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, पीठासीन व्यक्ति द्वितीय या निर्णायक मत का प्रयोग करेगा.

(7) यदि, किसी कारण से, अध्यक्ष, आयोग के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा.

16. **सम्मिलन के कार्यवृत्त :—**

(1) आयोग के प्रत्येक सम्मिलन के कार्यवृत्त, उसके सम्मिलन के ठीक दौरान या उसके पश्चात् सदस्य-सचिव द्वारा या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जैसा निर्देशित किया जाये, लेखबद्ध किये जायेंगे;

(2) आयोग के सम्मिलन के कार्यवृत्त अनुमोदन के लिये अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा अनुमोदन होने पर शीघ्र ही तथा किसी दशा में आगामी सम्मिलन प्रारंभ होने के पर्याप्त समय पूर्व आयोग के सदस्यों को परिचालित किये जायेंगे;

(3) आयोग द्वारा प्रारंभ किये गये प्रत्येक मामले के निष्कर्षों को किसी राय के रूप में प्रारूप में लेखबद्ध किया जायेगा तथा विपरीत राय, यदि दी जाती है, तो वह अभिलेख का भाग होगी तथा वह अभिलेख में रखी जायेगी. जहां राय में कोई भिन्नता होती है वहां बहुमत के आधार पर कार्यवाही की जायेगी;

(4) आयोग के समस्त आदेश तथा विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सदस्य-सचिव द्वारा प्राधिकृत किये गये आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे;

(5) जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, आयोग द्वारा सम्मिलन के कार्यवृत्त पर तब तक कार्यवाही नहीं की जायेगी, जब तक कि उसकी पुष्टि अध्यक्ष द्वारा नहीं कर दी जाती;

(6) आयोग के समस्त सम्मिलनों के अभिलेख की मास्टर प्रति तथा सदस्य-सचिव द्वारा सम्यकरूप से अधिप्रमाणित राय रखी जायेगी;

(7) प्रत्येक मदों से संबंधित कार्यवृत्त की एक प्रति समुचित कार्यवाही हेतु संबंधित फाइलों (नस्ती) में रखी जायेगी, रायों को संबंधित अभिलेखों में रखा जायेगा तथा सुविधा के लिये उसकी प्रतियां समुचित सूचियों के साथ सुरक्षित फाइलों रखी जायेगी.

17. **की गई कार्यवाही की रिपोर्ट :—** सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक पश्चात्वर्ती सम्मिलन में अनुवर्ती कार्यवाही की रिपोर्ट, जिसमें ऐसी मदों को छोड़कर, जिनमें आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, ऐसी प्रत्येक मद पर, जिनके संबंध में आयोग द्वारा उसके किसी पूर्व सम्मेलन में विनिश्चय किया गया था, की गई कार्यवाही के विद्यमान प्रक्रम को उपदर्शित करते हुए, आयोग को प्रस्तुत की जायेगी.

18. **मुख्यालय से बाहर कारबार का संव्यवहार :—** आयोग या कुछ सदस्य जब भी अध्यक्ष द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया गया हो, मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर कारबार का संव्यवहार कर सकेंगे, परन्तु यदि पक्षकारों को अधिनियम के अधीन किसी जांच के संबंध में सुना जाना हो तो ऐसे प्रयोजन के लिये कम से कम दो सदस्यों से आयोग की खंडपीठ का गठन होगा.

19. **परामर्शदाताओं का पैनल :—**

(1) आयोग, विभिन्न कार्यों जैसे अन्वेषण या जांच, कृतिक बल (टास्क फोर्स) या समितियों को सेवा देने हेतु तथा अनुसंधान और विश्लेषण के लिए आयोग को सहायता करने हेतु परामर्शदाताओं का एक पैनल बना सकेगा.

(2) आयोग पैनल बनाने हेतु शैक्षिक, अनुसंधान, प्रशासनिक, अन्वेषण, विधिक या सिविल सामाजिक समूहों से विशेषज्ञ ले सकेगा.

(3) आयोग इन परामर्शदाताओं का पैनल बनाने के लिये पारदर्शी प्रक्रिया अपना सकेगा जिसमें वे कार्यों के त्वरित प्रत्यायोजन के लिए उपलब्ध हो सके.

20. **वार्षिक रिपोर्ट :—**

(1) आयोग, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिये वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर सकेगा और प्रकाशित करेगा.

(2) आयोग, विशिष्ट विवाद्यकों पर जब कभी अध्यक्ष के निर्देश के अधीन आवश्यक हो, विशेष रिपोर्ट भी तैयार करेगा.

(3) राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट को विधान सभा के पटल पर रखवायेगी.

(4) वार्षिक रिपोर्ट में किसी अन्य मामले के जिसे आयोग रिपोर्ट में सम्मिलित करना आवश्यक समझे, अलावा प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर जानकारी, अन्वेषण किये गये/जांच किये गये परिवाद, मामलों पर की गई कार्यवाही, अनुसंधान के ब्यौरे, पुनर्विलोकन, शिक्षा और संवर्धन प्रयास, परामर्श, किसी मामले पर आयोग के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट सिफारिशें सम्मिलित होगी.

(5) उस दशा में जब आयोग यह समझता है कि वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में समय लग सकता है, तो वह विशेष रिपोर्ट तैयार कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकेगा.

(6) सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय पुनरीक्षित बजट प्राक्कलनों के साथ होंगे.

21. **वित्तीय शक्तियां :—**

(1) आयोग, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्राप्त धनराशियों का व्यय करेगा.

(2) आयोग के सदस्य-सचिव को, उन मामलों को छोड़कर जिन पर राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, आयोग के वित्तीय संव्यवहार से संबंधित समस्त शक्तियां होंगी.

(3) सदस्य सचिव, पदों के सृजन, वेतनमानों का पुनरीक्षण, यानों का उपापन, निधियों के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोग, आयोग के किसी अधिकारी को सेमीनारों, सम्मेलनों या विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विदेश में भाग लेने के लिये अनुज्ञात करने के मामलों में और राज्य सरकार द्वारा, अवधारित ऐसे अन्य मामलों में राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा.

(4) अध्यक्ष को मानदेय, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता से संबंधित निबंधनों और शर्तों पर अग्रिम में सहमत होने पर किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन और विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये किन्हीं व्यक्तियों को परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति करने की शक्तियां होगी.

(5) आयोग की सभी वित्तीय शक्तियां, राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये साधारण वित्तीय नियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, नियम तथा आर्थिक अनुदेशों द्वारा शासित होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार पाण्डे, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक 1456/4163/2009/मबावि/50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1456/4163/2009/मबावि/50, दिनांक 16-06-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार पाण्डे, विशेष सचिव.

Raipur, the 16th June 2010

NOTIFICATION

No. 1456/4163/2009/WCD/50.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 36 of the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (Central Act No. 4 of 2006), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Commission for Protection of Child Rights Rules, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its Publication in the "Official Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (Central Act No. 4 of 2006);

(b) "Commission" means the Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights constituted under section 17 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(d) "Member" means the Member of the Commission;

(e) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Commission;

(f) "Section" means the section of the Act;

(g) "State Government" means the Government of Chhattisgarh;

(h) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings herein respectively as assigned to them in the Act.

3. **Selection Committee :—** The Selection Committee referred to in the Provision to Section 18 shall be headed by the Minister-in-Charge of the Women and Child Development Department.

4. **Eligibility for appointment as Chairperson and other Members :—** No Person having any past record of violation of human rights or child rights shall be eligible for appointment as Chairperson or other Members of the Commission.

5. **Member-Secretary :—** The State Government shall appoint the Member-Secretary of the Commission under sub-section (1) of Section 21.

6. **Powers and duties of the Member Secretary :—** The Secretary shall—

(i) Have the powers to execute all decisions taken by the Commission in order to carry out the powers and functions of the Commission as provided in sections 13 and 14;

(ii) Exercise and discharge such powers and perform such duties as are required for the proper administration of the affairs of the Commission and its day to day management as specified in section 13 and 14;

(iii) Convene the meetings of the commission in consultation with its Chairperson and serve notices of the meetings to all concerned;

(iv) Take steps to ensure that the quorum required for convening a meeting of the Commission is secured;

(v) Prepare. the agenda of the each meeting of the Commission and self explanatory notes is consultation with the Chairperson;

(vi) Make available specific records covering the agenda items to the Commission for reference.

(vii) Ensure that the agenda papers are circulated of the Members at least two clear working days in advance of the meeting, except in cases when urgent attention is required.

(viii) Prepare the minutes of the meetings of the Commission and shall execute the decisions of the Commission taken in the meeting and shall also ensure placing of the Action Taken Note of the decisions of the Commission before the Commission in its subsequent meetings.

(ix) Ensure that the procedure of the Commission is followed by it in transaction of its business;

(x) Take up all such matters with the department of Women and Child Development for release of grants. creation of posts, revision of scales, procurement of vehicles, appointment of staff, laying of annual and audit report in State legislature, re-appropriation of funds, residential accommodation, permitting any officer of the Commission for deputation and any other matter requiring the approval of the State Government;

(xi) Exercise such financial powers as are delegated to him by the State Government:

Provided that no expenditure on an item exceeding his financial power shall be incurred without the prior sanction of the State Government;

(xii) Be the appointing and disciplinary authority in respect of other officers and employees of the Commission.

7. **Term of office of Chairperson and other Members :—**

(1) The Chairperson shall, unless removed from his office under section 7 of the Act, hold office for a period not exceeding three years, or till the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) Every Member shall, unless removed from his office under section 7, hold office for a period not exceeding three years, or till the age of sixty years, whichever is earlier.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2)—

(a) any person who has held the office of chairperson shall be eligible for re-nomination and

(b) any person who has held the office of a Member shall be eligible for re-nomination as a member or nomination as a chairperson;

Provided that a person who has held an office of Chairperson or Member for two terms, in any capacity shall not be eligible for re-nomination as Chairperson or member as the case may be.

(4) If the Chairperson is unable to discharge his functions owing to illness or incapacity, the State Government shall nominate any other Member to act as Chairperson and the Member so nominated shall hold office of Chairperson until the chairperson resumes office or till the remainder of his term.

(5) The Chairperson or a Member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign his office at any time.

(6) A vacancy caused by death, resignation or any other resaon shall be filled-up by nomination within ninety days from the date of occurrence of such vacancy.

8. **Terms and Conditions of Service of Chairperson and Member :—** Terms and Condition of Service of Chairpersons and Member for which provisions is not made in these rules, shall be such as may be determined by the State Government.

9. **Functions of Commission :—** The Commission shall perform all or any of the following functions namely:—

(a) examine and review the safeguards provided by or under any law for the time being in force for the protection of child rights and recommend measures for effective implementation of those safeguards;

(b) persent to the State Government, annually and at such other intervals, as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards:

(c) investigate into violation of child right and recommend initiation of proceedings in such cases.

(d) examine all factors that inhabit the enjoyment of right of children affected by terrorism communal violence, riots, natural disaster, domestic violence HIV/AIDS, trafficking, maltreatment, torture and exploitation, pornography and prostitution and recommend appropriate remedial measures.

(e) look into the matter relating to children in need of special care and protection including children in distress, marginalized and disadvantaged children, in conflict with law, juveniles, children without family/destitute children and children of prisoners and recommend appropriate remedial measures.

(f) study treaties and other international instruments and undertake periodical review of existing policies, programms and other activities on child rights and make recommendation for their effective implementation in the best interest of the Children.

(g) undertake and promote research in the field of child rights.

(h) spread child rights literacy among various sections of the society and promote awareness of the safeguards available for protection of these rigths through publications, media, seminars and other available sources.

(i) inspect or cause to be inspected any juvenile custodial home, or any other place of residence or institution meant for children, under the control of the Central Government or State Government or any other authority, including any institution run by a social organisation, where children are detained or lodged for the purpose of treatment, reformation or protection and take up with these authorities for remedial action, if found necessary.

(j) inquire into complaints and take suo-motu notice of matters relating to—

(1) Deprivation and violation of child rights.

(2) Non-implementation of laws providing for protection and development of children.

(3) Non-compliance of policy decisions, guidelines or instruction aimed at mitigating hard-ships to and unsuring welfare of the children and to provide relief to such children or take up the issues arising out of such matters with appropriate authorities, and

(k) perform duties as are specified by the State Government relating to any such matter.

10. **Additional Functions of the Commission :**—The Commission shall, in addition to the functions assigned to it under rule 9, also perform the following functions namely :—

(a) analyze existing law, policy and practice to assess compliance with Convention on the Rights of the Child undertake inquiries and produce reports on any aspect of policy or practice affecting children and comment on proposed new legislation from a child rights perspective;

(b) present to the State Government annually and at such intervals as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(c) undertake formal investigations where concern has been expressed either by children themselves or by concerned person on their behalf;

(d) ensure that the work of the Commission is directly informed by the views of children in order to reflect their priorities and perspectives;

(e) promote, respect and serious consideration of the views of children in its work and in that of all Government Department and Organizations dealing with child;

(f) produce and disseminate information about child rights;

(g) compile and analyse data on children; and

(h) promote the incorporation of child rights into the school curriculum, teachers training of personnel dealing with children.

11. **Headquarters of State Commission :**— The Head Quarter of the State Commission shall be at Raipur.

12. **Place of meeting :**— The State Commission shall ordinarily hold meeting in its office located at Raipur, but may in its discretion hold its meetings at any other place in Chhattisgarh, if it considers it necessary or expedient to do so.

13. **Periodicals of the meeting :**— The Commission shall meet regularly at its office at Raipur at such time as the Chairperson think fit, but three month shall not intervence between its last meeting and the next meeting Even through the Chairperson, may direct to call the special meeting of the Commission for considering any necessary specified matter, on the initiative of his/her own or one more than one member.

14. **Procedure for the disposal of complaints :**—

(1) All complaints, which are received by State Commission in any manner, shall be registered and assigned to them a number and shall be kept before the two members judicial bench constituted for this purpose for admission ordinarily not more than two weeks from the dates of its receipt. Ordinarily the complaints of following nature are not admissible for Commission :—

(a) in relation to those incidents occurred before, more than a year from presenting the complaint ;

(b) in relation to such matters which are "sub-judicial";

(c) which are not clear without any name of disguised name;

(d) which are insignificant nature.

(e) which are outside the jurisdiction of Commission.

(2) No fees shall be payable for complaints.

(3) Every complaint should be made in Hindi or English so that Commission shall be able to process quickly and every efforts should be made by which the nature of the matter shall become complete clear, for the reasons it made, Nevertheless for the convenient filing of the complaints, the commission may accept complaints made in any language included in English Scheduled of the constitution. The Commission whenever thinks necessary. Shall have freedom to call upon the filing of affidavits, more information in supports of allegation.

(4) The Commission at its discretion shall admit the complaints sent by telegraph or e-mail and the complaints through fax.

(5) The Commission shall have the powers to reject any complaint in limine.

(6) After the admission of a complaint Chairperson/Commission shall direct whether the matter shall be kept for inquiry or further investigation should be made.

(7) In respect of every complaint on which the Chairpersons/Commission have decided that whether it should inquire or investigate then the commission shall call the report/comments from the Government Authority concerned and for this purpose appropriate time shall be given to the Government/ Authority.

(8) On the receipt of the comments of the authority concerned a detailed note on that matter on merits shall be prepared for the consideration of the Commission.

(9) **The Commission on suo-motu take action.**— The Commission at its discretion may provide opportunity of personal hearing to petitioner or any person on behalf of petitioner and if the Commission is of the opinion that those other person or person should be heard for the appropriate disposal of the matter before it and in relation to that where it is necessary it may call for record and examine the subjects. The Commission shall provided appropriate opportunity of hearing to those person whose character has been the subject matter of its inquiry and in its opinion that there is a possibility of adverse effect on their goodwill and give opportunity for cross examination of witnesses, if any, in support of complaint and give opportunity for cross examination of witness, if any in support of complaint and give opportunity to present their evidence.

(10) Where the investigation has been made by a team of the Commission or any other person, such report shall be presented within a week of such more time, as may be permitted by the Commission, from the that of its completion. In any specific matter, if the Commission is of the opinion that investigation has not been made in a proper way or to ascertain the truth or to enable to dispose of that matter properly further investigation in that matter is required then, the Commission as its discretion may direct for further investigation.

(11) The Commission or when the Chairperson has made such request than any member from amongst the members of Commission may tour for the study at site and where such is made by one or more members, then that report shall be given to Commission as soon as possible.

15 **Procedure for transaction of business of Commission :—**

(1) The "Member-Secretary" of the Commission, along with such officers as the chairperson may direct, shall attend the meetings of the Commission.

(2) The Member Secretary shall in consultation with the chairperson prepares the agenda for each meeting of the Commission and shall have note prepared for the use of the Commission and such notes shall, as for as possible be shall-explanatory.

(3) The records covering the agenda items shall be made readily available to the Commission for reference.

(4) The agenda papers shall ordinarily be circulated to member at least two clear working days in advance of meeting except in cases when urgent attention is required.

(5) Three member including the chairpersons shall from the quorum at every meeting of the Commission.

(6) All decisions of the Commission its meeting shall be taken by majority.

Provided that in the case of equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding shall have and exercise a second or a casting vote.

(7) If, for any reason, the Chairpersons is unable to attend the meeting of the Commission any member chosen by the member present from amongst themselves at the meeting, shall preside.

16. **Minutes of the meeting :—**

(1) The minutes of each meeting of the Commission shall be recorded during the meeting itself or immediately or thereafter by the Member Secretary or by any other officer of the Commission as directed.

(2) The minutes of meeting of the Commission shall be submitted to the Chairperson for approval and, upon approval, be the circulated to all members of the Commission at the earliest and in any case, sufficiently before the commencement of the next meeting.

(3) The conclusion of the Commission in every matter undertaken by it shall be recorded in the form of an opinion and dissenting opinions, if given, shall also form part of and be kept on record. Action shall be taken on the basis of majority opinion where there is any difference of opinion.

(4) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Member Secretary with the prior approval of the Chairperson in this behalf.

(5) Unless specifically authorized, no action shall by the taken by the Commission on the minutes of the meeting until Chairperson confirms the same.

(6) A master copy of the record of all meetings and opinions of the Commission shall be maintained duly authenticated by the Member Secretary.

(7) A copy of the minutes pertaining to each item shall be kept in the respective files for appropriate action. Opinions shall be kept in respective records and for convenience, copies thereof with appropriate indexing shall be kept in guard files.

17. **Report of Action Taken :—** Report of the follow up action shall be submitted by the Member Secretary to the Commission at every subsequent meeting indicating therein the present stage of action taken on each item on which the Commission had taken any decision in any of its earlier meetings, excepting the items on which no further action is called for.

18. **Transaction of business outside headquarters :—** The Commission or some members may transact business at places outside its headquarters as and when previously approved by the Chairperson, provided that if parties are to be heard in connection with any inquiry under the Act, at least two members shall constitute the bench of the Commission for such purpose.

19. **Panel of Consultants :—**

(1) The Commission may constitute a penal of consultants for assisting the Commission in a wide range of tasks such as investigation or inquiry, to serve on task forces or Committees and for research and analysis.

(2) The Commission may draw on experts from academic, research, administrative, investigative, legal or civil society groups to from the panel.

(3) The Commission may devise a transparent process for the empanelling these consultants so that they are available for quick delegation of tasks.

20. **Annual report :—**

(1) The Commission shall prepare and publish an annual report for the period starting from 1st April to 31st March of the Commencing year, every year for submission to the Government.

(2) The Commission shall also prepare special reports on specific issues as and when necessary under the direction of the Chairperson.

(3) The State Government shall cause the annual report and the special reports of the Commission to be laid before the State Assembly.

(4) The annual report shall include information in administrative and financial matters; complaints investigated/inquired into; action taken in cases; details of research; reviews; education and promotion efforts; consolations, details and specific recommendations of the Commission on any matter, besides any other matter that the Commission may consider warranting inclusion in the report.

(5) In case the commission considers that there could be a time lag for the preparation of the annual reports, it, may prepare and submit a special report to the State Government.

(6) The estimated receipts and expenditure shall be accompanied by the revised budget estimates for the relevant financial year.

21. **Financial Powers :—**

(1) The Commission shall spend the sums of money received by it for the purposes of the Act.

(2) The Member Secretary of the Commission shall have all powers relating to financial transaction of the Commission, except in cases, which require prior approval of the State Government.

(3) The Member Secretary shall obtain prior approval of the State Government in matter of creation of posts, revision of pay scales, procurement of vehicles, re-appropriation of funds from one head to another, permitting any officer of the Commission to participate in seminars, conferences or training programmes abroad and such other matters determined by the State Government, by order.

(4) The Commission shall have power to engage any person as consultant or consultants for a specific purpose and for a specific period on the terms and condition agreed in advanced relating to honorarium, traveling allowance, dearness allowance.

(5) All financial powers of the Commission shall be governed by the General Financial Rules, delegation of financial powers Rules and economy instructions issued by the Finance department of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY KUMAR PANDEY, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 15/12/2010

क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/59... राज्य शासन छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (केन्द्रीय अधि. 2006 का 4) की धारा 17 (1) के प्रावधान अनुसार एतद् द्वारा श्री यशवंत जैन, अधिवक्ता, मरार पारा, बालोद, जिला दुर्ग को आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

2/- इनका कार्यकाल आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जेवियर केरकेट्टा) 15/12/10
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/59, रायपुर, दिनांक 15/12/2010
प्रतिलिपिः-

1- महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
2- सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ रायपुर।
3- विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर।
4- सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर (छत्तीसगढ़)।
5- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर।
6- मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर मंत्रालय रायपुर।
7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन।
8- विशेष सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
9- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ रायपुर।
10- समस्त जिला- कलेक्टर छत्तीसगढ़।
11- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
12- श्री यशवंत जैन, अधिवक्ता, मरार पारा, बालोद, जिला दुर्ग
13- सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रायपुर
14- कोषालय अधिकारी, जिला-कोषालय रायपुर छत्तीसगढ़।
15- उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ मार्ग, राजनांदगांव

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 15/12/10
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

sonu/adesh16

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 2/06/2011

क्रमांक एफ 1–7/2011/मबावि/50:::राज्य शासन छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम, 2006 का 4) की धारा 17 के प्रावधान अनुसार एतद्द्वारा **श्री रजनीश शुक्ला** को आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में **सदस्य नियुक्त** करता है ।

2/ इनका कार्यकाल आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए रहेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जेवियर करकेट्टा) 1/6/11
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ0 क्र0 एफ 1-7/2011/मबावि/50. रायपुर, दिनांक 2/06/2011

प्रतिलिपि:–

1– महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर.
2– सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर.
3– विशेष सहायक, मान0 मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
4– सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर.
5– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
6– मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर.
7– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन.
8– विशेष सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
9– आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर .
10– समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़.
11– रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.
12– अध्यक्ष/सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग, शंकर नगर, पानी टकी के पास, रायपुर.
13– श्री रजनीश शुक्ला, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग, शंकर नगर, पानी टकी के पास, रायपुर.
14– कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 1/6/11
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

369
3/6/11

2 JUN 2011

AD(SD)

2/6

adesh/sonu/54